

पीठासीन अधिकारी

: श्री पर्वतसिंह चुण्डावत, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या

: 52/2013

वादीगण :-

बनाम

शंकरलाल पुत्र बुद्धाराम कौम मीणा

प्रतिवादीगण:-

1. देवा पुत्र कलाजी के वारिसान
क. राजु पुत्र देवाजी
2. जसा पुत्र कलाजी के वारिसान
क. मांगीलाल पुत्र जसाजी
ख. ओगड पुत्र जसाजी
3. श्रीमति ट्मु पत्नी पुनाजी
4. जगदीश पुत्र पुनाजी
5. बंशीलाल पुत्र पुनाजी
6. भोमाराम पुत्र पुनाजी
7. भुराराम पुत्र पुनाजी
8. समाराम उर्फ सोमाराम पुत्र खंगारजी
9. कसाराम पुत्र खंगारजी और उनका
जायन्दा पुत्र मीठाराम के फौत होने
पर उनके कायम मुकाम ।
क. लेरकी बेवा मीठाराम
ख. बस्तीमल पुत्र मीठाराम
ग. वेलाराम पुत्र मीठाराम
10. हंसाराम पुत्र खंगारजी के कायम मुकाम
क. वालाराम पुत्र हंसाराम
ख. मांगीलाल पुत्र हंसाराम
ग. सकाराम पुत्र हंसाराम
11. लालाराम पुत्र खंगारजी के कायम मुकाम
क. नरसाराम पुत्र लालाराम
ख. करमाराम पुत्र लालाराम
ग. हेमाराम पुत्र लालाराम फौत
ग/1 फुलकी पत्नी हेमाराम
ग/2 रमेश पुत्र हेमाराम
ग/3 मदन पुत्र हेमाराम
ग/4 महेन्द्र पुत्र हेमाराम
ग/5 दिनेश पुत्र हेमाराम
ग/6 तेजा पुत्र हेमाराम
ग/7 मदन पुत्र हेमाराम
घ. जवानराम पुत्र लालाराम
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

राजस्व वाद बाबत अन्तर्गत 53,89,188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम, 1955 तारीख रजु:

05/04/2013

उपस्थित: वादीगण एवं प्रतिवादीगण

--: निर्णय :-

दिनांक:- 27/06/2016

“लोक अदालत / केम्प कोर्ट -2016 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार मजमा-ए-आम शिविर ग्राम पंचायत नाडोल पर आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट” में वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्धगण प्रतिवादी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरहद नाडोल चक 1 तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 1459 से 1461, 1466, 1467, 1468, 1469, 1471, 1472, 1475, 1476 कुल खसरा 11 कुल रकबा 10.2700 हेक्टेयर लगान 195.51 की वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड प्रावागमब का रास्ता रखते हुए किये जाने निवेदन किया गया।

पक्षकारान को तारीख पेशी नोटिस तामिल होने पर एवं केम्प की इतलला के बावजूद अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 6,10(ग),11(क),(ख),(ग),(घ) की ओर से से वकील श्री सुरेश दवे ने वकालत नामा दिनांक 15/12/15 को प्रस्तुत किया परन्तु 6 माह से अधिक समय गुजरने के बावजूद भी जबावदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वकील प्रतिवादी का जबावदावा बन्द किया जाता है। शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में पूर्व में लाई जा चुकी है।

हमने पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं अध्ययन मनन से स्पष्ट है कि प्रकरण सहखातेदारो के मध्य धारा 53 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बंटवारे का है। अतः वादीगण का दावा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद में प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित समझता हूँ।

--:आदेश:-

अतः प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि कि मौजा नाडोल चक 1 तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 1459 से 1461, 1466, 1467, 1468, 1469, 1471, 1472, 1475, 1476 कुल खसरा 11 कुल रकबा 10.2700 हेक्टेयर लगान 195.51 की वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा करने हेतू जारी की जाती है। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावे। निर्णय, डिक्री पर्चा की प्रति, तहसीलदार, देसूरी को पालना हेतू भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली दिनांक 12/07/2016 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
जिला माली (शखी)

निर्णय आज दिनांक 27/06/2016 को लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2016 शिविर अटल सेवा केन्द्र नाडोल में सरे मजमा आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
जिला माली (शखी)

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकदमें इबतदाई

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- देसूरी
बईजलास :- श्री पर्वतसिंह चुण्डावत , आर0ए0एस0
वादीगण :- बनाम
शंकरलाल पुत्र, बुद्धाराम कौम मीणा

प्रतिवादीगण:-

1. देवा पुत्र कलाजी के वारिसान
क. राजु पुत्र देवाजी
2. जसा पुत्र कलाजी के वारिसान
क. मांगीलाल पुत्र जसाजी
ख. ओगड पुत्र जसाजी
3. श्रीमति ट्यु पत्नी पुनाजी ।
4. जगदीश पुत्र पुनाजी
5. बंशीलाल पुत्र पुनाजी
6. भोमाराम पुत्र पुनाजी
7. भुराराम पुत्र पुनाजी
8. समाराम उर्फ सोमाराम पुत्र खंगारजी
9. कसाराम पुत्र खंगारजी और उनका
जायन्दा पुत्र मीठाराम के फौत होने
पर उनके कायम मुकाम
क. लेरकी बेवा मीठाराम
ख. बस्तीमल पुत्र मीठाराम
ग. वेलाराम पुत्र मीठाराम
10. हंसाराम पुत्र खंगारजी के कायम मुकाम
क. वालाराम पुत्र हंसाराम
ख. मांगीलाल पुत्र हंसाराम
ग. सकाराम पुत्र हंसाराम
11. लालाराम पुत्र खंगारजी के कायम मुकाम
क. नरसाराम पुत्र लालाराम
ख. करमाराम पुत्र लालाराम
ग. हेमाराम पुत्र लालाराम फौत
ग/1 फुलकी पत्नी हेमाराम
ग/2 रमेश पुत्र हेमाराम
ग/3 मदन पुत्र हेमाराम
ग/4 महेन्द्र पुत्र हेमाराम
ग/5 दिनेश पुत्र हेमाराम
ग/6 तेजा पुत्र हेमाराम
ग/7 मदन पुत्र हेमाराम
घ. जवानराम पुत्र लालाराम
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

राजस्व वाद बाबत घोषणा, मु0न0 :रा0वा0 स0: 52/2013
अन्तर्गत धारा 5389,188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू-..... व हाजरी
....., वादीगण मिनजानिब मुद्धई व
प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्राथमिक डिक्री बहक
वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि कि मौजा नाडोल चक 1 तहसील
देसूरी के खसरा नम्बर 1459 से 1461, 1466, 1467, 1468,
1469, 1471, 1472, 1475, 1476 कुल खसरा 11 कुल रकबा 10.2700 हैक्टेयर लगान 195.
की वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा करने हेतू जारी की जाती है। तदानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल
रामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। निर्णय, डिक्री पर्चा
श्री प्रति, तहसीलदार, देसूरी को पालना हेतू भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली दिनांक
2/07/2016 को पेश हो।

गौज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर-.....फीस
वादी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिबत मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर / नाडोल के आज
तारीख 12/07/2016 को जारी किया गया ।
मोहर

उपखण्ड अधिकारी देसूरी
(जिला पत्नी)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अर्जी
स्टाम्प वजह सबूत	महनताना वकील
महनताना वकील	खर्चा गवाहान
खर्चा गवाहान	फीस कमीश्नर
फीस कमीश्नर	बाबत ईजराय हुक्मनामा
बाबत ईजराय हुक्मनामा	मुत्फरिक

मिजान:-

मिजान:-

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया
गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

उपखण्ड अधिकारी देसूरी
(जिला पत्नी)